

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला – बालाघाट, (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण क. 327 / 2013

संस्थित दिनांक-25.04.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा  
 अन्तर्गत चौकी सालेटेकरी, जिला-बालाघाट (म0प्र0)

- - - - - अभियोजन

// विरुद्ध //

राधेलाल पिता मनीराम रजक, उम्र 43 वर्ष, जाति धोबी,  
 निवासी खादी, थाना सालेवारा, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

- - - - - आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक- 09 / 06 / 2014 को घोषित)

1- आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337(दो काउन्ट) के तहत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक-08.04.2013 को दिन के करीब 9:30 बजे ग्राम कचनारी मंदिर टोला, थाना बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन हीरो होण्डा एच.एफ. डिलक्स मोटरसाईकिल क्रमांक सी.जी.08 / जी.3834 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं आहतगण आत्माराम एवं लखनू को टक्कर मारकर साधारण उपहति कारित की ।

2- अभियोजन पक्ष का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी/आहत लखनूराम ने दिनांक 08.04.2013 को चौकी सालेटेकरी में आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि वह वह कचनारी में रहता है तथा खेती किसानी का काम करता है। दिनांक 08.04.2013 को वह मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.50-एम. सी.6668 से उसके साथी आत्माराम को बैठाकर अचानकपुर जा रहा था कि करीबन 9:30 बजे अचानक कचनारी बस्ती के अन्दर की तरफ से मोटरसाईकिल चालक डबल सवारी बैठाकर तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक मोटरसाईकिल को चलाते हुए लाया और उसकी मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह तथा उसका साथी आत्माराम गिर गये। फरियादी/आहत की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध चौकी सालेटेकरी में 0 / 13 कायमी कर असल नम्बरी हेतु थाना बिरसा भेजा, जिस पर थाना बिरसा की पुलिस के द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध

क्रमांक 42/13 अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 का मामला पंजीबद्ध एवं आरोपी को गिरफ्तार कर तथा आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी राधेलाल के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337(दो काउन्ट) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान आहतगण लखनू व आत्माराम ने आरोपी से राजीनामा कर लिया है, जिस कारण आरोपी के विरुद्ध धारा 337(दो काउन्ट) भा.द.वि. का अपराध शमन किया जा कर शेष अपराध धारा 279 भा.द.वि. हेतु आगे विचारण किया गया है। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपी ने 08.04.2013 को दिन के करीब 9:30 बजे ग्राम कचनारी मंदिर टोला, थाना बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन हीरो होण्डा एच.एफ.डिलक्स मोटरसाईकिल क्रमांक सी.जी. 08/जी. 3834 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

#### विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5— फरियादी/आहत लखनूलाल (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके कथन से एक साल पहले की है वह अपनी मोटरसाईकिल पर आत्माराम को बैठाकर अचानकपुर जा रहा था तो सुबह 9:30 बजे कचनारी बस्ती में दूसरी ओर से आरोपी अपनी मोटरसाईकिल में नेमसिंह को बैठाकर आ रहा था, जिससे दोनों की मोटरसाईकिल आपस में टकरा गई थी, जिससे दोनों मोटरसाईकिल गिर गयी थी। उक्त घटना में उसे और आत्माराम को चोट आयी थी तथा आरोपी को भी चोट आयी थी। उसने उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस चौकी सालेटेकरी में प्रदर्श पी-1 दर्ज करायी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका मुलाहिजा करवाया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि घटना में उसकी व आरोपी की गलती नहीं थी, लेकिन दुर्घटना हो गई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि ऐसा नहीं हुआ था कि आरोपी ने मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाया था जिससे दुर्घटना घटित हुई थी। साक्षी ने स्वतः कथन किया है कि घटना अचानक घट गयी थी उसमें आरोपी की कोई लापरवाही नहीं

थी। इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा आरोपी के विरुद्ध स्वयं आहत एवं सूचनाकर्ता होते हुए भी अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

6— अभियोजन साक्षी/आहत आत्माराम (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी तथा अभियोगी लखनू को जानता है। उसके कथन से लगभग एक वर्ष पूर्व वह होली के पहले सुबह लगभग 9:00 बजे लखनू के साथ मोटरसाईकिल पर पीछे बैठकर सालेटेकरी से दमोह आ रहा था। उक्त मोटरसाईकिल को लखनू चला रहा था। साक्षी का कथन है कि जैसे ही उनकी मोटरसाईकिल कचनारी के चौराहे पर पहुंची तो दूसरी ओर से आरोपी अपनी मोटरसाईकिल से आ रहा था तो दोनों वाहन की टक्कर हो गई थी और वे लोग गिर गये थे, जिससे उसे बॉयी ऑख के ऊपर चोट आयी थी। साक्षी ने कथन किया है कि दुर्घटना कैसे घटित हुई वह नहीं बता सकता। पुलिस ने उसका बयान नहीं लिया था। साक्षी ने स्वतः कथन किया है कि ऐसा नहीं हुआ था कि आरोपी तेजी व लापरवाही से मोटरसाईकिल को चलाकर आया और टक्कर मारा था। मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल से मोटरसाईकिल जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-3 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा आरोपी के द्वारा कथित अपराध कारित किये जाने के संबंध में स्वयं आहत व चक्षुदर्शी साक्षी होते हुए भी अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है।

7— अभियोजन साक्षी/अनुसंधानकर्ता मनोज मांगरे (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 08.04.2013 को चौकी सालेटेकरी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को सूचनाकर्ता लखनू की मौखिक रिपोर्ट पर उसने प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-0/13 धारा 279, 337 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उक्त दिनांक को ही साक्षियों के समक्ष प्रदर्श पी-2 का नजरी नक्शा तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी लखनू साक्षी योगेन्द्र, आत्माराम एवं दिनांक 13.04.2013 को साक्षी सुरितराम के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। दिनांक 8.04.2013 को घटना स्थल से एक मोटरसाईकिल प्रदर्श पी-3 के अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 18.04.2013 को आरोपी राधेलाल से हीरो होण्डा क्रमांक-सी.जी. 08/जी.3834 को साक्षियों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त मोटरसाईकिल का मैकेनिकल परीक्षण कराकर, परीक्षण रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया गया है। उसके द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा

मोटरसाईकिल क्रमांक—सी.जी.08/जी.3834 का नुकसानी पंचनामा तैयार किया था, जो रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं चालान के साथ संलग्न किया गया है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में अस्वीकार किया है कि साक्षी लखनू एवं आत्माराम ने उसे कोई कथन नहीं दिये थे तथा उसने साक्षियों के कथन अपने मन से लेख कर लिया था एवं उसने मौका नक्शा थाने में बैठकर अपने मन से बनाया था।

8— मामले में आहतगण व चक्षुदर्शी साक्षी की साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि घटना के समय दुर्घटना कारित वाहन को आरोपी के द्वारा चलाया जा रहा था, किन्तु उक्त वाहन को आरोपी के द्वारा लोकमार्ग पर तेजी व लापरवाही से चलाये जाने का तथ्य साक्षीगण ने प्रकट नहीं किया है। मामले में अनुसंधानकर्ता की समर्थनकारी साक्ष्य से अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं होता है। इस प्रकार मामले में घटना के समय आरोपी के द्वारा उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

9— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य के विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक—08.04.2013 को दिन के करीब 9:30 बजे ग्राम कचनारी मंदिर टोला, थाना बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन हीरो होण्डा एच.एफ. डिलक्स मोटरसाईकिल क्रमांक सी.जी. 08/जी. 3834 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अंतर्गत दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन हीरो होण्डा एच.एफ. डिलक्स मोटरसाईकिल क्रमांक सी.जी. 08/जी. 3834 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार खेमराज पिता राधेलाल को सुपुर्दनामा पर प्रदान की गई है। उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)